



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रंमाक २२६६/प्र.प्र.२०१६/१६ निगरानी

श्री. २२६६/प्र.प्र.२०१६/१६ को  
राजस्व दि. ६.७.१६ को  
प्रस्तुत  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१. अनीता चौकसे पत्नी राजेश चौकसे
२. राजेश चौकसे पिता बालमुकुन्द चौकसे
३. हेमन्त चौकसे पिता बालमुकुन्द चौकसे
४. सौनाली चौकसे पत्नी हेमन्त चौकसे
५. मैसर्स सुनील टेन्ट हाउस प्रोप्रायटर सुनील राय
६. मैसर्स एस०आर० फबरिकर्स एण्ड टेक्सटाईल प्रोप्रायटर हेमन्त चौकसे  
निवासीगण - १९७ए, सेक्टर सी तुलसी नगर  
इंदौर मध्य प्रदेश

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

१. प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बदौडा  
निपानिया शाखा इंदौर

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध विद्वान अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर द्वारा प्रकरण क्रंमाक १४/अ-७४/१५-१६ में पारित आदेश दिनांक २२/६/१६ एवं प्रकरण क्रंमाक १३/अ-१४/१५-१६



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2266-पीबीआर/16

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

15-9-2016

आवेदकगण की ओर से श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक  
उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया ।  
अनुरोध स्वीकार किया जाता है । प्रकरण नहीं चलाये जाने के कारण  
समाप्त किया जाता है ।

अध्यक्ष